सांसद/ मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में जयपुर, झूंझनूं एवं दौसा जिलों की चयनित ग्राम पंचायतों के सरपंचों, चार्ज अधिकारियों एवं ग्राम सचिवों की शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को कमरा नंबर 202, इन्दिरा गॉधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में आयोजित कार्यशाला का कार्यवाही विवरण

Actionable Points:

- चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं (महात्मा गॉधी नरेगा, आवास योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल, गौरव पथ, ससामाजिक सहायता, कृषि, पशुपालन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र) में प्राथमिकता प्रदान की जावे ।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालयों की स्वीकृतियां एवं निर्माण उपरान्त लाभार्थी को प्राथमिकता से भुगतान किया जावे ।
- चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों में मूलभूत अवसंरचनात्मक परिसत्पत्तियों का महत्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत परिसम्पत्ती निर्माण निधि में आवंटित बजट के अनुसार प्राथमिकता से स्वीकृतियां जारी कर कार्यो का सम्पादन इसी वित्तीय वर्ष में कराया जावे ।
- कार्यशाला में कई प्रतिभागियों द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ निर्माण नही होने के संबंध में अवगत करवाया गया । इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर को इन चयनित ग्राम पंचायतों में गौरव पथ प्राथमिकता से निर्मित करवाये जावें ।
- चयनित ग्राम पंचायतों में कौशल विकास एंव आजीविका के संसाधनों की वृद्वि हेतु महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के यथा अपना खेत अपना काम, केटल शैड निर्माण, बकरी आश्रय गृह, फार्म पौण्ड, फलदार वृक्षारोपण आदि कार्य प्राथमिकता से लिये जावे ।
- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित ग्राम पंचायतों के बेस लाईन सर्वे कार्य हेतु जारी राशि 50,000/–रू. क हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को जिला स्तर से किया जावे ।
- चयनित मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायतों के बेस लाईन सर्वे एवं ग्राम विकास योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर वेब साईट पर अपलोड किया जावे ।
- सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजनान्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों की प्रगति को योजना की वेबसाईट में ''पंचायत दर्पण'' में अंकित सभी 35 इण्डिकेटर्स की प्रगति त्रैमासिक अंकित करने के प्रावधान के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए ''पंचायत दर्पण'' में नियमित रूप से प्रगति का इन्द्राज करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये ।

- **चयनित ग्राम पंचायतों में ई मित्र कियोस्क नही होने की स्थिति में जिला कलक्टर स्तर से ई मित्र सेवा शुरू करवाने हेतु सुनिश्चितता की जावे ।**

- **चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक/राजकीय/ चारागाह भूमी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से की जावे ।**

- **चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों के राजकीय कार्यालयों / संस्थानों में रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने की कार्यवाही जिला कलक्टर स्तर से की जावे।**

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों के समक्ष पिपलान्त्री मॉडल का प्रदर्शन करते हुए इस आधार पर जल–संरक्षण, पर्यावरण, चारागाह विकास, आजीविका, स्वावलंबन के माध्यम से आदर्श ग्राम विकसित करने हेतु स्थानीय समुदाय में सहभागिता एवं जागरूकता उत्पन्न करने का सन्देश दिया गया ।

शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा समस्त प्रतिभागीगण का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यशाला सम्पन्न हुई ।

क्रमांक : प.10(40) ग्रावि/ग्रुप–6/2015 जयपुर, दिनांक : 30-12-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा.मंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग
5. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान ।
6. वित्ती सलाहकार, ग्रा.वि
7. परि निदेशक एवं पदेन उप सचिव, महात्मा गॉधी नरेगा / एस.ए.पी–II, ग्रा.वि/आजीविका परियोजनाएं
8. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज
9. अधीक्षण अभियन्ता, आई.ए.वाई. ग्रा.वि / पंचायती राज
10. प्रभारी अधिकारी, श्री योजना , ग्रा.वि।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया सांसद/ मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के चार्ज अधिकारी एवं सरपंचगण को कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनके माध्यम से योजना की समयबद्ध कियान्विति सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला स्तर पर पाक्षिक/मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित कर योजना का मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित करावे ।
12. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
13. रक्षित पत्रावली ।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव(SAP)